न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2012 निगरानी

R-250-III/2012

भोगीलाल पुत्र धर्मा खंगार निवासी ग्राम चिन्नोद तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

—— आवेदक

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लटकू बाढई
2. मनीराम } पुत्रगण लटकू
3. दीनदयाल }
4. महिला मक्खो बेवा लटकू
5. फूलकुंअर } पुत्रीगण लटकू
6. विशो }
7. धनीराम पुत्र हरवान
8. राजावेटी } पुत्रीगण रती बाढई
9. रमको

निवासीगण ग्राम चिन्नोद तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

—— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र.क. 105/निगरानी/11–12 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2012 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 250–तीन / 2012 जिला–शिवपुरी

भोगीलाल विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–8–2019	आवेदक अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 22–11–2011 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग को प्रस्तुत की गई थी। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने आदेश दिनांक 18–1–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी को इस आधार पर समाप्त किया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22–11–2011 के विरूद्ध निगरानी को इस आधार पर समाप्त किया था कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 संशोधन अधिनियम 2011 के अनुकम में निगरानी सुनने की अधिकारिता समाप्त हो गई है। अपर आयुक्त द्वारा तत्समय संशोधन अधिनियम के अनुकम में निगरानी में आदेश पारित किया गया था। वह आदेश गुण–दोष के आधार पर न करते हुए अपर आयुक्त द्वारा क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पारित किया गया था। देखा जाए तो उक्त आदेश से परिवेदित होने का कोई कारण निगराकर्ता को नहीं है क्योंकि विधिक स्थिति के अनुसार ही आवेदन अस्वीकार किया गया है। चूंकि मूल आदेश अनुविभागीय अधिकारी का है जिससे निगरानीकर्ता क्षुब्ध है। ऐसी स्थिति में तकनीकी आधार पर यह निगरानी मूल रूप से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक	

22–11–2011 के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जाना मानी जायेगी। चूंकि वर्तमान में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–7–2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय कलेक्टर शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

3/ पक्षकार दिनांक 27–09–2019 को कलेक्टर शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

(जे0 के0 जैन)
सदस्य